16/2/24 पत्रावली पेश। पक्षान उभयपक्ष हाजिर। अधि.
अप्रार्थी 3 रा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधी बहस
हेतु भाग लेकर निवेदन किया गया। अधि.
अप्रार्थी क्र.1 के अनुरोध पर बहस अधिवक्ता
उभयपक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी अधिवक्ता
मुताबिक आवेदन रही। अधिवक्ता अप्रार्थीगण
1 द्वारा आवेदन के तथ्यों का खण्डन किया।
बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर
उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया
गया। मूल प्रार्थना-पत्र राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम की धारा 251(क) का है। प्रार्थी द्वारा
भूमि ख.नं.-576 रकबा 0.1200 हैक्टर वाके ग्राम
बाल्याजी भैरूजी नगर पटवार हल्का कुडली तहसील
व जिला सीकर में से रास्ते बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है।
उक्त रास्ते की भूमि पर मौके की यथास्थिति में परिवर्तन न
करने पर रास्ते की भूमि प्रभावित हो सकती है तथा प्रार्थी
के हित प्रभावित हो सकते हैं। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 को
मौके की यथास्थिति में परिवर्तन नहीं करने बाबत पाबन्द
किया जाना उचित है। अतः आवेदन प्रार्थी को स्वीकार
किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को आगामी आदेश
निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह दौराने मूल
प्रार्थना-पत्र विवादित भूमि ख.नं. 576 रकबा 0.1200
हैक्टर वाके ग्राम बाल्याजी भैरूजीनगर पटवार हल्का
कुडली तहसील व जिला सीकर की भूमि के मौके की
यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसलशुदा होकर
नम्बर सिकम हो, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज
मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर